न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी: बीना महावर, आर0ए0एस0)

अपील संख्या 74/2019

घीसाराम पुत्र सुखलाल जाति माली निवासी जहानपुर तहसील वैर जिला भरतपुर हाल निवासी सैक्टर 8डी शिव वाटिका मौग्याबास मानसरोवर जयपुर।

.....अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार तामील जरिये तहसीलदार वैर

.....रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व आदेश दिनांक 16.05.2018 तहसीलदार वैर। पत्रावली संख्या 268/2017 उनवानी राजस्थान सरकार बनाम घीसाराम अन्तर्गत धारा 91 भू राजस्व अधिनियम।

उपस्थित :– 1. श्री मोहनसिंह राणा, अभिभाषक अपीलान्ट
2. राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक : 27.01.2021

अपीलान्ट ने यह अपील विरूद्व रैस्पोडेन्ट व खिलाफ आदेश तहसीलदार वैर दिनांक 16.05.2018 पेश की गई है। तहत न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश में 91 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत अपीलान्ट को अतिक्रमी आराजी खसरा नम्बर 507 रकवा 3.10 बीघासे बेदखल कर पैनल्टी की आज्ञा दी गई है। उक्त आदेश के खिलाफ यह अपील पेश की गई है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

अपील दर्ज रजिस्टर कर रैस्पो० एवं तहत पत्रावली तलब की गई। मूल तहत पत्रावली शामिल मिसिल है। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने तर्को में अपील में अंकित कथनो को दाहेराते हुये जाहिर किया कि पटवारी हल्का जहानपुर की रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जबकि विवादित आराजी खसरा नम्बर 507 से लगा हुआ अपीलान्ट की खातेदारी का रकवा आराजी खसरा नम्बर 508 है जिसमें अपीलान्ट ने सरसों की फसल बोई हुई है। उन्होने यह भी जाहिर किया कि अपीलान्ट जयपुर में निवास करता है लेकिन अपीलान्ट को जहानपुर के पते पर नोटिस जारी कर जारी शुदा नोटिस पर अपीलान्ट की तामील मानते हुये अनुपस्थित का नोट लगाकर इकतरफा में अपीलाधीन आदेश पारित किया है जबकि अपीलान्ट ने किसी भी गैरमुमकिन मरघट की भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया है। उन्होने यह भी जाहिर किया कि तहत अदालत ने निर्णय करने से विवादित आराजी की कोई पैमाइश नहीं कराई गई है और न ही पटवारी हल्का के बयान भी लिये गये है तथा जारी नोटिस भी गलत तरीके से तामील माना गया है। उन्होने यह भी जाहिर किया कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी किया गया नोटिस प्राप्त नही हुआ है। अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 27.09.2019 को ग्राम जहानपुर के पटवारी हल्का ने दी तब अपीलान्ट ने तहसील से दिनांक 27.09.2019 को नकल प्राप्त कर अपील अन्दर म्याद प्रस्तुत की। वकील अपीलान्ट ने अपने कथनों के समर्थन में आर.आर.डी. 2000 पेज 505 तथा आर.आर.डी. 2005 पेज 221 उद्धरित की। अन्त में वकील अपीलान्ट ने अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाने की प्रार्थना की है।

पैरोकार सरकार ने तहत अदालत तहसीलदार वैर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.05.2018 की ताईद करते हुये कथन किया गया कि तहत अदालत द्वारा विधिवत कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिसमें कतई किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट के खिलाफ उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान भू राजस्व आधिनियम 1956 की धारा 91 के अंतर्गत की गई है जिसका तहत अदालत को वखूबी अधिकार प्राप्त है। अपीलान्ट के खिलाफ तहत अदालत द्वारा की गई कार्यवाही न्याय संगत है। इसलिए तहत अदालत द्वारा

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

पारित अपीलाधीन आदेश बखूबी न्याय संगत है। अन्त में पैरोकार सरकार द्वारा अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.05.2018 यथावत रखे जाने का निवेदन किया गया।

हमने पत्रावली का अध्ययन किया गया। योग्य अभिभाषक उभयपक्षों के कथनों पर गौर किया। तहत न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि तहत न्यायालय ने अपीलान्ट को विधिवत सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है बल्कि अपीलान्ट के नोटिस को जहानपुर के पते पर भेजकर उसकी तामील मानते हुये अनुपस्थिति दर्ज करते हुये कार्यवाही की गई है जबकि अपीलान्ट जयपुर में निवास करता है। अतिकमी के सम्बन्ध में भी तहत न्यायालय ने कोई पैमाइश नहीं कराई है और न पटवारी हल्का के बयानात लिये गये है। ऐसी स्थिति में प्रकरण को पुनः सुनवाई हेतु तहसीलदार वैर को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित पाते है।

अतः आदेश है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.05.2018 निरस्त किया जाता ह। प्रकरण तहसीलदार वैर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलान्टान को विधिवत सुनवाई का अवसर देते हुये तथा विधिवत साक्ष्य वगैरा लेकर नियमानुसार गुणावगुण के आधार पर पुनः निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 27.01.2021 को सुनाया गया।

(बीना महावर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)